यह निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गड़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गड़वाल,के माह 04/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रहलाध सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10/12/2018 से 13/12/2018 तक श्री रामसेनही लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्वेक्षण मे सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः यह कार्यालय जनपद पौड़ी मे स्थित है । ज़िलाअधिकारी कार्यालय से 500 मीटर की दूरी तथा आकाशवाणी केंद्र के समीप स्थित हें । समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1750 फिट हें । इस कार्यालय के द्वारा अशासकीय विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता हें ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

क्र°सं°	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि° (+)	बचत
		प्रा°शे°	आवंटन	व्यय	प्रा°शे°	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है							
2	2016-17								
3	2017-18								
4	2018-19 (11/2018 तक)								

(ii) वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(रु लाख मे)

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम			प्राप्त धनराशि		व्यय
		प्रा° शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्ति(व्याज आदि)	कुल प्राप्ति	
2015-16	मध्याहन भोजन योजना	इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				
2016-17						
2017-18						
2018-19(11/2018)						

(ii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार है। इकाई की श्रेणी "विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

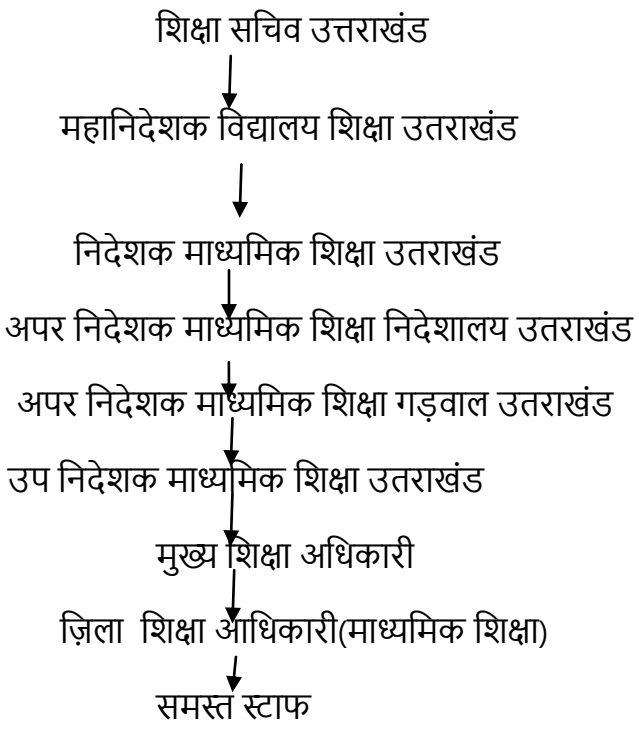

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गड़वाल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा, अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गड़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह शून्य को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त शून्य माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में, आवश्यकता से अधिक, प्रवक्ताओं की अनियमित नियुक्ति का प्रकरण।

शासनादेश संख्या 114-1(3)/XXIV-4/2010 दिनांक 03 फरवरी 2010 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु प्रवक्ताओं / सहायक अध्यापकों के पदों की स्वीकृति / नियुक्ति हेतु पदों की गणना अनुमन्य अनुभागों की संख्या तथा वादनों की संख्या हेतु निर्धारित मानकों/ मापदण्डों के अनुसार प्रवक्ता को 30 वादन तथा सहायक अध्यापक को 36 वादन प्रति 6 दिवस (सप्ताह) की दर से निर्धारित है । तथा बिन्दु संख्या 10- रिक्त पदों के विज्ञापन की अनुमति विषय की मान्यता, पद सृजन आदेश, विषयवार एवं कक्षावार छात्र संख्या, मानकानुसार अनुभागों की संख्या, अध्यापकों के मानकानुसार वादनों की गणना, पद की आवश्यकता आदि सम्पूर्ण अभिलेखों की जांच सावधानी पूर्वक करने के उपरान्त ही दी जाय । किसी भी अनियमितता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबन्धित पटल सहायक का होगा ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, इंटर कालेज जखेटी में प्रवक्ताओं / सहायक अध्यापकों की तैनाती निम्नानुसार थी ।

पदों की स्वीकृति का आधार	**मानकों के अनुसार आवश्यक / अनुमन्य वादनों की संख्या**		**मानकों अनुसार आवश्यक / अनुमन्य संख्या के सापेक्ष कार्यरत अध्यापकों के वादनों की संख्या**		**आवश्यक /अनुमन्य संख्या से अधिक तैनाती (अनुमन्य-कार्यरत)**	
	प्रवक्ता	**स. अध्यापक**	**प्रवक्ता**	**स. अध्यापक**	**प्रवक्ता**	**स. अध्यापक**
अनुमन्य अनुभागों की संख्या (1)	4	5	4	5	4-4=0	5-5=0
वादनों की संख्या (2)	8	8	13.75	7.2	13.75-8=5.75	7.2-8= -0.8
दिनों की संख्या (सप्ताह) (3)	6	6	6	6	6-6=0	6-6=0
कुल वादनों की संख्या (1x2x3) = **(4)**	192	240	330	216	330-192=138	216-240= -24
अनुमन्य पदों की संख्या (4) ÷ 30	6.4	--	11	--	11-6.4=4.6	--
अनुमन्य पदों की संख्या (4) ÷ 36	--	6.6	--	6	--	6-6.6= -0.6

उपरोक्त विवरण के अनुसार विद्यालय में प्रवक्ता के 4 अनुभागों हेतु प्रति सप्ताह (6 दिन) 8 वादनों की दर से कुल (4x8x6=192) 192 वादनों की आवश्यकता थी । इसी प्रकार सहायक अध्यापक के 5 अनुभागों हेतु प्रति सप्ताह (6 दिन) 8 वादनों की दर से कुल (5x8x6=240) 240 वादनों की आवश्यकता थी । परंतु विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार प्रवक्ता के 330 वादन तथा सहायक अध्यापक के 216 वादन प्रति सप्ताह सम्पन्न किए जा रहे थे । प्रवक्ता के 30 वादन प्रति सप्ताह की दर से 192 वादनों हेतु मात्र (192÷30=6.4) पूर्णांकित 7 पदों की आवश्यकता थी । इसी प्रकार सहायक अध्यापक को 36 वादन प्रति सप्ताह की दर से 216 वादनों हेतु (240÷36=6.6) पूर्णांकित 7 पदों की आवश्यकता थी।

अध्यापकों के मानकानुसार वादनों की गणना, अनुभागों की संख्या, के आधार पर प्रवक्ता के 7 पदों की आवश्यकता के सापेक्ष 11 पदों की स्वीकृति एवं तैनाती थी जो अनुचित और अनियमित रूप से 4 पद अधिक (11-7=4) थी । तदनुसार विद्यालय प्रबंधन द्वारा आवश्यकता से अधिक 4 प्रवक्ताओं की अनियमित नियुक्ति कर त्रुटिपूर्ण ढंग से उनके

वेतन एवं भत्तों का शासकीय निधि से आहरण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि 4 प्रवक्ताओं की नियुक्ति पूर्व में प्रबंधक इंटर कालेज जखेटी द्वारा आवश्यकता के अनुसार की गई है मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा मात्र अनुमोदन किया जाता है। साथ ही यह भी कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा कोई अनुमति नहीं की जाती है।

यह प्रश्न किए जाने पर कि क्या पद विज्ञाप्ति करने की अनुमति जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी के स्तर से उक्त विद्यालय में रिक्त पदों का सत्यापन कार्यालय में संरक्षित वित्तीय सर्वेक्षण रिपोर्ट से किया गया था? उत्तर में कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है।

आगे प्रश्न किए जाने पर कि क्या पदों के विज्ञापन की अनुमति, विषय की मान्यता, पद सृजन आदेश, विषयवार एवं कक्षावार छात्रसंख्या, मानकानुसार अनुभागों की संख्या, अध्यापकों के मानाकनुसार वादनों की गणना, पद की आवश्यकता आदि सम्पूर्ण अभिलेखों की जांच करने के उपरान्त ही दी गई थी? उत्तर में कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वारा कोई जांच नहीं की जाती है।

इकाई के उपरोक्त उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त शासनादेश संख्या 114-1(3)/XXIV-4/2010 दिनांक 03 फरवरी 2010 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार रिक्त पदों के विज्ञापन की अनुमति विषय की मान्यता न विषय की मान्यता, पद सृजन आदेश, विषयवार एवं कक्षावार छात्रसंख्या, मानकानुसार अनुभागों की संख्या, अध्यापकों के मानाकनुसार वादनों की गणना, पद की आवश्यकता आदि सम्पूर्ण अभिलेखों की जांच सावधानी पूर्वक करने के उपरान्त ही दी जाये। किसी भी अनियमितता का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित पटल सहायक का होना प्रावधानित था। अतः इंटर कालेज जखेटी में, आवश्यकता से अधिक, 4 प्रवक्ताओं की अनियमित नियुक्ति का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:2- नई पेंशन योजना के अन्तर्गत नव-नियुक्त कर्मचारियो/ अधिकारियों के वेतन शीट /कोषागार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) जमा न होने के संबंध में।

उत्तराखंड राज्य मे दिनांक – 01/10/2005 के पश्चात सेवा मे नियुक्त अधिकारिओं/ कर्मचारियों हेतु वित्त विभाग की अधि सूचना -21/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंश दाई पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस संबंध मे वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -643/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2010 दिनांक 11/08/2010 के प्रस्तर –(2) के प्राविधानानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि कोषागार द्वारा लेखा शीर्षक -0071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवर्ति लाभों के लिए 00-117-नई पेंशन योजना ,01-कर्मचारी का अंश , 02- नियोक्ता का अंश(state share) के नामे जमा किए जाने की व्यवस्था की गयी थी ।

इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017 दिनाक -06/04/17 में स्पष्ट किया गया है कि अंश दाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा। साथ ही समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप में 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक, कोषागार द्वारा सी0 आइ0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा। कार्यालय उप जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिकशिक्षा) कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) मे कार्यरत नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारिओं के एनपीएस खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखो की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि उनके वेतन शीट /कोषागार शीट मे नियोक्ता का अंश (state share) जमा नहीं हो रहा है। संप्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया है कि संस्था मे तैनात कर्मचारियों/ अधिकारिओं/शिक्षण गण में से कर्मचारियों/ अधिकारिओं/सीक्षण गण की NPS पासबुक एवं लेजर तैयार किये गए है परंतु उनके NPS पासबुक एवं लेजर मे 10% state share दर्ज नहीं किया जा रहा है।

कोषागार सल्ट (अल्मोड़ा) के E-कोष द्वारा कोषागार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) अप्रैल 2017 से जमा नहीं किया जा रहा है। संप्रेक्षा जांच मे यह पाया गया कि कॉलेज द्वारा कोषा अधिकारी एवं निदेशालय को भी लगभग 02 वर्ष से इस संबंध मे पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी। इस संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया कि उचित दिशानिर्देश प्राप्त नहीं थे एवं उक्त प्रकरण मे लेखापरीक्षा के निर्देशों का पालन करते हुऐ कार्यवाही कि जायेगी। संप्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं हें क्योकि इकाई द्वारा उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा तिथि (11/2018) तक कोई कार्यवाही नहीं की थी। शासन आदेश मे 06/04/17 मे स्पष्ट है कि प्राविधानानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिकों व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि का लेखांकन सुसंगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत न किए जाने के संबंध में महालेखाकार उत्तराखंड द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 मे आपत्ती दर्ज कि गयी थी। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद अवशेष धनराशि निर्माण एजेंसी से वापस नहीं किया जाना रु. 22.01लाख।

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या /XXIV-2 / 2012-6(3) /2012 दिनांक 09 अक्तूवर 2012, के अनुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुनर्गठित नवीन ढांचे के अनुरूप निदेशालय स्तर से विकास खण्ड स्तर तक के विभिन्न अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व विभाजन के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल के कार्य एवं दायित्व के अधीन माध्यमिक स्तर के भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों का भौतिक सत्यापन करना तथा अंतिम भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना निर्देशित है।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक अस्थाई निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी (निर्माण एजेंसी) द्वारा प्रेषित निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह 11/ 2018 के अनुसार निम्नवत निर्माण कार्य संपादित किए गए थे ।

जिला योजना **धनराशि (लाख ₹) में**

क्र° सं°	**निर्माण कार्य का नाम**	**कार्य प्रारम्भ करने की तिथि**	**कार्य पूर्ण करने की तिथि**	**कार्य की कुल स्वीकृत लागत**	**कुल व्यय**	**एजेंसी के पास अवशेष धनराशि**
1	रा.इ.का. कोटडीढाग में कक्षा-कक्ष का निर्माण	11/0216	06/2017	11.73	9.163	1.796
2	रा.इ.का. गेण्ड्खाल में कक्षा-कक्ष का निर्माण	12/2016	09/2017	11.73	7.269	1.022
3	रा.इ.का. गंगाभोगपुर में कक्षा-कक्ष का निर्माण	11/2016	06/2017	11.73	9.710	0.518
4	रा.इ.का. देवीखेत में कक्षा-कक्ष का निर्माण	01/2017	09/2018	11.73	7.228	1.917
5	रा.इ.का. महादेवचट्टी में कक्षा-कक्ष का निर्माण	12/2016	09/2017	11.73	10.258	0.133
6	रा.इ.का.सिद्धपुर ढोंटियाल में कक्षा-कक्ष का निर्माण	01/2018	06/2018	11.73	7.800	000
7	रा.इ.का. कांडाखाल में कक्षा-कक्ष	02/2018	05/2018	11.73	11.372	000

	का निर्माण					
8	रा.इ.का. मासी में कक्षा-कक्ष का निर्माण	01/2018	03/2018	11.73	7.850	000
9	रा.इ.का. मुछियाली में कक्षा-कक्ष का निर्माण	10/2017	03/2018	11.73	11.720	000
10	रा.इ.का.पाबों में कक्षा-कक्ष का निर्माण	02/2018	06/2018	15.00	12.607	2.393
11	रा.इ.का. श्रीनगर में कक्षा-कक्ष का निर्माण	02/2018	06/2018	12.60	9.536	3.064
12	रा.इ.का. एकेश्वर में कक्षा-कक्ष का निर्माण	02/2018	04/2018	11.73	11.347	0.383
13	क.गाँ.बा.वि. त्रिपालीसेण के अंतर्गत 100 बेडेड बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य	02/2014	09/2018	244.040	213.249	10.791
योग						**22.017**

निर्माण एजेंसी द्वारा उपरोक्त समस्त निर्माण कार्यों को पूर्ण किए हुये 02 से 16 माह (06/2017 से 09/2018) तक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी निर्माण कार्यों से अवशेष धनराशि की मांग जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी द्वारा निर्माण एजेंसी से नहीं की गई । जबकि निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के तुरंत पश्चात कार्यों की अवशेष धनराशि की मांग निर्माण एजेंसी से किया जाना अपेक्षित थी । विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद अवशेष धनराशि की मांग निर्माण एजेंसी से नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 22.017 लाख की धनराशि अनियमित रूप से निर्माण एजेंसी के अधीन निक्षेप में पड़ी रही। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को इकाई द्वारा स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि निर्माण एजेंसी से धनराशि वापस प्राप्त कर साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रेषित कर दिया जाएगा। अतः निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद अवशेष धनराशि रु. 22.01 लाख, निर्माण एजेंसी से वापस प्राप्त नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:04- उत्तराखंड शासन (माध्यमिक) शिक्षा अनुभाग-2 संख्या-/xxiv-2 /2012-6(3)/2012 दिनाक-09/10/2012 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गड़वाल को आवंटित कार्यो एवं दायित्व का सुचारु रूप से अनुपालन न करने के संबंध।

जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गढ़वाल की संप्रेक्षा द्वारा उत्तराखंड शासन (माध्यमिक) शिक्षा अनुभाग-2 संख्या-/xxiv-2 /2012-6(3)/2012 के शासनादेश के आधार पर संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि आशासकीय विद्यालयों प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। इकाई द्वारा माध्यमिक विद्यालयों से मान्यता हेतु स्थलय निरीक्षण रिपोर्ट एवं आख्या जो मुख्य शिक्षा अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारीन (माध्यमिक) द्वारा प्रेषित की गयी थी की प्रति संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी। इकाई द्वारा माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित विभिन्न अनुश्रवण संबधी कार्यों की अनुश्रवण रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्राप्त कराई गयी तथा इकाई द्वारा इकाई के आधिकारियों द्वारा माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित कितनी ज़िला स्तरों बेठकों मे भाग लिया गया था इसका कोई विवरण इकाई द्वारा संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। संप्रेक्षा अवधि 2013-14 से 2018-19 तक वर्षो मे जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) द्वारा 1/3 विद्यालयों के penal निरीक्षण का कोई प्रमाण व रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसर तहसील दिवस की कितनी बैठकों मे भाग लिया गया था इसका कोई विवरण इकाई द्वारा संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) द्वारा संप्रेक्षा अवधि मे कितनी माध्यमिक शिक्षा की कितनी शिकायतों की जांच की गयी इसका कोई विवरण इकाई द्वारा संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। (माध्यमिक) शिक्षा अनुभाग-2 संख्या-/xxiv-2 /2012-6(3)/2012 के शासनादेश के आधार पर संप्रेक्षा द्वारा इकाई से उपर लिखित बिन्दुओ के संबंध मे पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे संप्रेक्षा को अवगत कराया गया है कि उक्त सभी बिन्दुओ की अनुपालन आख्या संप्रेक्षा को शीघ्र ही प्रेषित कर दी जाएगी। संप्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गड़वाल द्वारा शासनादेश का अनुपालन न करके उक्त इकाई को मुख्य शिक्षा अधिकारी से वर्ष 2013 मे अलग करने एवं प्रथक आहरण एवं वितरण आधिकार देने का उदेश्य पूर्ण नहीं हो पाया।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:5- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दिनाक 01/01/09 को एसीपी के तहत वेतन निर्धारण मे त्रुटि पूर्ण ग्रेड pay का अंकन करने के संबंध में।

संप्रेक्षा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गढ़वाल की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि निम्न विवरण के अनुसार श्री खिम सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कि ग्रेड pay त्रुटिपूर्ण दिखाई गयी है जिसके आधार पर दिनाक-31/12/15 को आधार मानकर VIIth pay commission का arrear एवं अन्य वेतन संबंधी लाभ लिए गए थे । जिसका प्रमाणीकरण निम्न विवरण के अनुसार होता हें ।

क्रमसंख्या	वेतन वृद्धि	24/03/11 के आदेश अनुसार ग्रेड pay	30/09/11 के आदेशनुसार ग्रेड pay	ग्रेड pay के अंतर कि धनराशि
1.	अनुमान्य तिथि— 1/01/09 को वार्षिक वेतन' वृद्धि	1900	2400	(-)500
2.	01/01/09 को विकल्प के आधार पर तृतीय एसीपी मे वेतन	2800	2400	(+)400

ग्रेड pay के अंतर के विषय मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि प्रपत्र मे इंगित grade pay 1900 इंगित करने के संबंध मे पूर्व कार्यर्त विद्यालय से सूचना प्राप्त कर आख्या संप्रेक्षा को प्रस्तुत कर दी जाएगी। संप्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पूर्व विद्यालय द्वारा बिना जांच किए कर्मचारी का सेवा पुस्तिका मे वेतन निर्धारण किया गया था जिसके आधार पर vii th pay कमिशन के वेतन-भत्ते एवं arrear की धनराशि कर्मचारी द्वारा आहरित की गयी थी। उक्त त्रुटि पूर्ण gradepay इंगित होने के कारण कर्मचारी को vii th pay कमिशन के वेतन-भत्ते एवं arrear की धनराशि के आधिक भुगतान होने की पूर्ण संभवाना है। इकाई द्वारा संप्रेक्षा को यह भी अवगत नहीं कराया गया कि ग्रेड pay किन परिस्थितियों में दिनांक 01/01/09 को 2800 के स्थान पर 1900 की गयी थी। क्या कर्मचारी को दंडित किया गया था जिसके कारण ग्रेड pay 2800 के स्थान पर 1900 की गयी थी । प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

क्रमसंख्या	कर्मचारी का नाम/पदनाम	वेतन मान		शासनादेश/ एसीपी ग्रेड वेतन संशोधन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण दिनाक-24/03/11	शासनादेश/ एसीपी ग्रेड वेतन संशोधन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण दिनाक-30/09/11
01	खिमसिंह नेगी/चतुर्थ श्रेर्णि कर्मचारी	29200-92300(लेवेल-05)		शासनादेश संख्या-589/(1)/xxvii(7)40(ix)2011 दिनाक-01/07/13 प्रविधनों के अंतर्गत शासनादेश संख्या-872/)/xxvii(7)/न0प्रति/2021/ दिनाक-08/03/11 के प्रस्तर -1(3) के संसोधन होने पर उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(3) के अनुसार तथा शासनादेश संख्या-07/xxvii(7)/22(v)2011 दिनाक-06/04/2011 मे निहित प्राविधाननुसार दिनाक-24/03/2011 से वितत्य लाभ दिये जाने पर निमांकित चतुर्थ श्रेर्णि कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया गया	शासनादेश संख्या872/)/xxvii(7)/न0प्रति/2011/ दिनाक-08/03/11 के सपठित स्पस्टिकरण संसोधित शासनादेश संख्या-10/xxvii(7)/40(ix)/2011(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 दिनाक-07/04/11 एवं' संसोधित शासनादेश संख्या 65/xxvii(7)/40(ix)/2011 दिनाक-04/08/11 मे निहित प्राविधाननुसार एसीपी के फलस्वरूप ज़िला सिक्षा अधिकारी के आदेश संख्या -05/64/एसीपी/2011-12 दिनाक-30/09/11 के द्वारा स्वृकित आदेश के क्रम मे वेतन निर्धारण - निमांकित चतुर्थ श्रेर्णि कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया गया
तृतिय एसीपी दिनाक-01/09/08 से स्वृकित के फलस्वरूप दिनाक-01/09/08 से 31/12/18	3% वेतनवृद्धि	वेतन	ग्रेड वेतन	कुल योग	
	-	7700	2800	10570	
01/01/09 को वार्षिक वेतन वृद्धि	320	8090	1900	9990	
01/01/09 को विकल्प के आधार पर तृतीय एसीपी मे वेतन निर्धारण	300	8390	2800	11190	
01/01/10 को वार्षिक वेतन वृद्धि	340	8730	2800	11530	

01/01/11 को वार्षिक वेतन वृद्धि	350	9080	2800	11880	
01/01/12 को वार्षिक वेतन वृद्धि	360	9440	2800	12240	
01/01/13 को वार्षिक वेतन वृद्धि	370	9810	2800	12610	
संख्या872/)/xxvii(7)/न0प्रति/2011/ दिनाक-08/03/11 के अनुसार तृतीय एसीपी की अनुमान्य तिथि-01/09/08 एवं विकल्प की तिथि 01/0/09 को वेतन निर्धारण	-				शासनादेश/ एसीपी ग्रेड वेतन संशोधन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण दिनाक-30/09/11
अनुमान्य तिथि—1/09/08	-	7770	2400		शासनादेश संख्या872/)/xxvii(7)/न0प्रति/2011/ दिनाक-08/03/11 के सपठित स्पष्टीकरण संसोधित शासनादेश संख्या-10/xxvii(7)/40(ix)/2011(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 दिनाक-07/04/11 एवं' संसोधित शासनादेश संख्या 65/xxvii(7)/40(ix)/2011 दिनाक-04/08/11 मे निहित प्राविधाननुसार एसीपी के फलस्वरूप ज़िला शिक्षा अधिकारी के आदेश संख्या -05/64/एसीपी/2011-12 दिनाक-30/09/11 के द्वारा स्वृकित आदेश के क्रम मे वेतन निर्धारण - निमांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया गया
-	अनुमान्य तिथि—1/09/09 को वार्षिक वेतन' वृद्धि	310	8080	2400	10170
-	01/01/09 को विकल्प के आधार पर तृतीय एसीपी मे वेतन निर्धारण	320	8400	2400	10800
	अनुमान्य तिथि—1/09/10 को वार्षिक वेतन'	330	8730	2400	11130

	वृद्धि				
	अनुमान्य तिथि— 1/09/10 को वार्षिक वेतन' वृद्धि	340	9070	2400	11470

STAN

प्रस्तर-1- बृहद निर्माण कार्यें के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत धनराशि रु. 316.37 लाख।

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या /XXIV-2 / 2012-6(3) /2012 दिनांक 09 अक्टूबर 2012, के अनुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुनर्गठित नवीन ढांचे के अनुरूप निदेशालय स्तर से विकास खण्ड स्तर तक के विभिन्न अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व विभाजन के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल के कार्य एवं दायित्व के अधीन माध्यमिक स्तर के भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों का भौतिक सत्यापन करना तथा अंतिम भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना निर्देशित है।

परियोजना प्रबन्धक अस्थाई निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी (निर्माण एजेंसी) द्वारा प्रेषित निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह 11/ 2018 में दर्शाये गए निम्नलिखित बृहद निर्माण कार्यों से संबन्धित अभिलेख विस्तृत समीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराएँ-

राज्य पोषित **धनराशि (लाख ₹) में**

क्र. सं.	**निर्माण कार्य का नाम**	**कार्य प्रारम्भ करने की तिथि**	**कार्य पूर्ण करने की तिथि**	**कार्य की कुल स्वीकृत लागत**	**कुल व्यय**	**एजेंसी के पास अवशेष धनराशि**
1	रा.इ.का. सिलोगी के भवन निर्माण कार्य	10/2012	12/2017	107.670	103.128	
2	क.गाँ.बा.वि. त्रिपालीसेण के अंतर्गत 100 बेडेड बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य	02/2014	09/2018	244.040	213.249	

निर्माण (एजेंसी) द्वारा प्रेषित निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह 11/2018 में दर्शाये गए उपरोक्त निर्माण कार्यों के पूर्ण किए जाने की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी रु. 316.37 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत थे।
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति निदेशक विद्यालयी शिक्षा को प्रेषित की जाती है।
इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी गढ़वाल के कार्य एवं दायित्व के अधीन माध्यमिक स्तर के भवन निर्माण संबंधी कार्यों का भौतिक सत्यापन करना तथा अंतिम भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना निर्देशित था तदनुसार इकाई द्वारा निर्माण एजेंसी से उपरोक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। परंतु इकाई की उदासीनता के कारण उपरोक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए। अतः इकाई द्वारा निर्माण एजेंसी से रु. 316.377 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गढ़वाल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**दिनांक**
1.	श्री टीका राम आर्य	वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा	01/04/13-से 28/07/13 तक
2.	श्री रुकम सिंह मन्दराल	वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा	29/07/2013 से 31/07/2014
3.	श्री भूपेंद्र काण्डपाल	वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा	23/08/2014 से 01/09/2014
4.	श्री खिलाफ सिंह बिष्ट	वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा	23/09/2014 से 30/11/2018
5.	श्री आलोक शाह	वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा	01/12/18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकारसामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.